समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

फोन न0 0612–2219545 (व
फैक्स न0–0612–2218
Email : dampatnaarmssection@gmail.c
dm-patna.bih@ni

–: आदेश :–

16-08-2013

आवेदक **श्री अनिल कुमार,** पिता–मोहन सिंह, सा0+पो0+थाना–मराँची (भग टोला), जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रायफल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–216/2012 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँ प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की तिथि–16.08.2013 निर्धारित की गई।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–16.08.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्र में आवेदक के द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे प्राइवेट नोकरी करते हैं। साथ प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का घर गाँव के बिल्कुल किनारे है, जिससे अपराधियों क खतरा बना रहता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा निर्गत करने का अनुरोध किया गया, परन्तु पूछने पर सुरक्षा भय के संबंध में कोई ठोस साक्ष उपलब्ध नहीं कराया गया।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1218/गो0, दिनांक–11.10.2012 द्वा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त मात्र अग्रसारित किया गया है, कि अनुशंसा अंकित नहीं है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बाढ़, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, मराँची प अंचल निरीक्षक, हाथीदह के मंतव्य से सहमत होते हुए आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन प को मूल में संलग्न कर अनुशंसित एवं अग्रसारित किया गया है। पुलिस निरीक्षक, हाथीद अंचल के ज्ञापांक–534/2012, दिनांक–23.09.2012 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेद पत्र को अनुशंसा के साथ भेजा गया है। थानाध्यक्ष, मराँची द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक प्राइवेट नोकरी करते हैं। साथ ही प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक का घर गाँ के बिल्कुल किनारे है, जिससे अपराधियों का खतरा बना रहता है। तदोपरान्त उनके द्वा जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया। लेकिन आवेद को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में कुछ भी प्रतिवेदित नहीं किया गया है। साथ थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने बावजूद आवेदक को अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु आवेदक के अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र क अग्रसारित किया गया है, लेकिन इसके लिए कोई कारण नहीं बताया गया है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) एवं 13 (2A) में अंकित है कि "आवेद की प्राप्ति पर, अनुज्ञापन प्राधिकारी उस आवेदन पर निकटतम पुलिस थाने के भारसाध ऑफिसर की रिपोर्ट मंगवाएगा और ऐसा ऑफिसर अपनी रिपोर्ट विहित समय के भीतर भेजेग अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा वह आवश्यक समझ और उप–धारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् इस अध्याय के अन उपबन्धों के अधीन रहते हुए, लिखित आदेश द्वारा अनुज्ञप्ति या तो अनुदत्त करेगा या अनुद करने से इन्कार करेगा :

परन्तु जहॉ निकटतम पुलिस थाने का भारसाधक ऑफिसर आवेदन पर विहि समय के भीतर अपनी रिपोर्ट नहीं भेजता है, वहॉ यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी ठीक समझे तो व

विहित समय के अवसान के पश्चात्, उस रिपोर्ट की और प्रतीक्षा किए बिना ऐसा आदेश कर सकेगा।"

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रायफल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त आवेदक श्री अनिल कुमार, पिता–मोहन सिंह, सा0+पो0+थाना–मराँची (भगत टोला), जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रायफल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।